



दिनांक: 20.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 07 मोटरसाइकिल, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 01 चोरी का मोबाइल फोन व 5320/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.10.2024 को वादी श्री अजय कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम नथौड़ी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं० UP 11 AD 1937 चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 372/24 धारा 303(2) बीएनएस तथा वादी श्री अब्दुल दानिश पुत्र निसार निवासी मौ० सर्वोज्ञान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं० UP 11 CJ 2803 चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 371/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा लूट/वाहन चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु चोर/नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान उपरोक्त मुकदमों का सफल अनावरण करते हुए वाहन चोर गिरोह 04 शातिर अभियुक्तगण 1. आशीष पुत्र विश्वास निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर, 2. अक्षय पुत्र कालाराम निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर, 3. अंकुश पुत्र सुबोध निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व 4. मोहित पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को नया गांव में स्थित बन्द पड़े पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर 07 मोटर साइकिल (थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु०अ०सं० 372/24 धारा 303(2) बी०एन०एस० से सम्बन्धित मो०सा० UP 11AD 1937 तथा थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु०अ०सं० 371/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित मो०सा० UP 11CJ 2803 व 05 अन्य मो०सा० तथा कुल 5320 रुपये, 01 मोबाइल फोन वीवो व 02 फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद। अभियुक्तगण से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 279/24 धारा 303(2) बीएनएस व मु०अ०सं० 302/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गयी मोटरसाइकिलो को बेचकर अर्जित की गयी 5320/- रुपये की धनराशि तथा चोरी गया मोबाइल फोन थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 269/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 375/24 धारा 112(2)/317(2)/317(5)/336(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ कर विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछने पर एक साथ में बताया कि हम लोगो के पास से मिली सभी मोटर साइकिलो को हम सभी ने मिलकर अलग-अलग स्थानो से चोरी की थी। हम लोगो ने पुलिस से बचने के लिए चोरी की दोनो मोटरसाइकिलों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा रखी थी। अभियुक्त अक्षय ने बताया कि मैंने दिनांक 15.10.2024 को अपने साथी अंकुश के साथ मिलकर मोटर साइकिल UP 11CJ 2803 मौ० सर्वोज्ञान कस्बा नकुड़ से चोरी की थी तथा दिनांक 18.10.2024 को अपने साथी आशीष के साथ मिलकर मो०सा० UP 11AD 1937 को नयाँ गांव रोड शान्ति धर्मकांटे के सामने से चोरी की थी तथा दिनांक 18.08.24 को मैंने अपने साथी मोहित के साथ मिलकर मो०सा० स्प्लेण्डर प्लस UP11CH4140 को अम्बेहटापीर कस्बा में श्री राम मन्दिर से चोरी कर ली थी जिसे हम दोनो ने मिलकर 5200 रूपयो में बेच दिया था जो मुझसे 1430 रूपये मिले है वह उसी मो०सा० की चोरी के है। अभियुक्त अंकुश ने बताया कि मैंने अपने साथी आशीष के साथ मिलकर दिनांक 14.08.24 को मो०सा० UP11BY1105 अम्बेहटापीर में स्थित सदभावना कॉलेज के पास से चोरी की थी जिसे हमने करीब 1 महीने पहले 4900 रूपये में बेच दिया था, मुझसे जो 1080/- रूपये मिले है। वह उसी मो०सा० की चोरी के है तथा मुझसे जो आपको मोबाइल फोन मिला है वह मैंने कुछ समय पहले ग्राम टोली के जंगल में स्थित आम के बाग से चोरी किया था। अभियुक्त मोहित ने बताया कि मुझसे जो 1640/- रूपये मिले है वह रूपये मुझे अक्षय के साथ मिलकर अम्बेहटापीर से मो०सा० UP11CH4140 को चोरी

कर मो0सो0 को बेचकर आये थे। चारो अभि0गण ने पुनः बताया कि हम सब ने चोरी की सभी मो0सा0 को नया गांव में स्थित पेट्रोल पम्प अन्दर छुपा रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आशीष पुत्र विश्वास निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. अक्षय पुत्र कालाराम निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. अंकुश पुत्र सुबोध निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मोहित पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सिरसका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट UP 11AD 1937 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 372/24 धारा 303(2) बीएनएस)
2. 01 स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट UP 11CJ 2803 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 371/24 धारा 303(2) बीएनएस)
3. 01 हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस HR02R3829
4. 01 हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट रंग सिल्वर
5. 01 हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल HR02AJ7501
6. 01 स्प्लेण्डर प्लस मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट HR02AH6153
7. 01 हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल HR02AP3780
8. 02 फर्जी नम्बर प्लेट HR02R3821 व UP11BL 3198
9. 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी
10. 5320/- रुपये नकद (अभियुक्त अक्षय से 1430 रु, मोहित से 1640 रु, अंकुश से 1080 रु, आशीष से 1170 रु बरामद)

अभियुक्त अक्षय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 279/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 371/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 372/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 375/24 धारा 112(2)/317(2)/317(5)/336(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 132/21 धारा 60/63 आब0 अधि0 चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त मोहित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 279/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 375/24 धारा 112(2)/317(2)/317(5)/336(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अंकुश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 375/24 धारा 112(2)/317(2)/317(5)/336(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 302/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 269/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 371/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 134/23 धारा 328/452 भादवि चालानी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 404/19 धारा 354(ख)/376/452/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 230/20 धारा 147/148/149/188/269/270/323/504/506 भादवि व 56 आपदा प्रबन्धन अधि0 चालानी थाना बेहट जिला सहारनपुर

अभियुक्त आशीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 372/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 302/24 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 375/24 धारा 112(2)/317(2)/317(5)/336(2) बीएनएस चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
7. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
8. का0 2245 अंशु यादव थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
9. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 20.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर

साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2024 को वादी श्री अनुज कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम बडकला थाना बेहट जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 11.10.2024 को वादी की मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0नं0 HR 71 B 7114 के डॉ0 सविता के अस्पताल से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 20.10.2024 को अभियुक्त **संजय पुत्र बलवीर सिंह निवासी राधा विहार नुमाईश कैम्प थाना को0नगर जनपद सहारनपुर** को अम्बेडकर चौक से पहले ढमोला नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से चोरी की मोटर साईकिल बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317/(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संजय पुत्र बलवीर सिंह निवासी राधा विहार नुमाईश कैम्प थाना को0नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोटर साईकिल स्पलेण्डर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0कां0 103 राजेन्द्र कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 05 बैटरें

बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.10.2024 को चैकिंग/गस्त के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण 1. मुकर्रम पुत्र अल्लाह रक्खा निवासी इन्द्रा कालोनी थाना बेहट, सहारनपुर 2. शादाब पुत्र अब्दुल हमीद निवासी संजय कालोनी थाना बेहट, सहारनपुर 3. बुरहान पुत्र इमरान निवासी ग्राम जीवनगढ, मौहल्ला विशाल कालोनी, थाना विकास नगर जनपद देहरादून उत्तराखंड को जनता रोड ढमोला पुल के पास थाना से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 258/2024 धारा 317(5)/3(5) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने एक राय होकर बताया कि हम नशा करने के आदी हैं अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क किनारे खड़े वाहनो से चोरी कर लेते हैं, ये बैटरे हिमाचल प्रदेश में खड़े हुए ट्रको से चोरी किए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मुकर्रम पुत्र अल्लाह रक्खा निवासी इन्द्रा कालोनी, थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. शादाब पुत्र अब्दुल हमीद निवासी संजय कालोनी थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. मौ0 बुरहान पुत्र मौ0 इमरान निवासी ग्राम जीवनगढ थाना विकास नगर जनपद देहरादून उत्तराखंड।

आपराधिक इतिहास मुकर्रम उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0-282/21 धारा 380,411,457 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-283/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-534/21 धारा 379,411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-584/21 धारा 380,411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास बुरहान उपरोक्त:-

मु0अ0सं0-101/24 धारा 3/25 आयुध अधि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 05 बैटरें

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. का0 1342 कपिल राठी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. कां0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 2314 युधिष्ठिर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर



दिनांक: 20.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म/छेड़छाड़ के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को

किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2024 वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आकिब पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ नानू निवासी मंसूर कालोनी नजदीक शकीला मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म/छेड़छाड़ करने की सूचना के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 402/24 धारा 354ए/376(2)एन/323/506 भादवि के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म/छेड़छाड़ के मुकदमे में वांछित अभियुक्त आकिब पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ नानू निवासी मंसूर कालोनी नजदीक शकीला मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र मण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकिब पुत्र श्री अब्दुल रहीम उर्फ नानू निवासी मंसूर कॉलोनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजबहादुर राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 1600 मनोज आर्य थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:20.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 04 मोटर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2024 को वादी नौशाद पुत्र गुलफाम निवासी गली नं0-16, पीर वाली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की फैक्ट्री से एक बफ मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 314/2024 धारा 305(A) बीएनएस तथा दिनांक 19.09.2024 को वादी तनवीर पुत्र जहीर अहमद निवासी गली नं-8, पीर वाली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा जन्नत कालोनी 25 फुटा रोड स्थित वादी के लकड़ी के कारखाने से मोटर आदि चोरी कर ले जाने सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 277/2024 धारा 305(A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त दोनो घटनाओं का संज्ञान लेकर घटनाओ के सफल अनावरण व अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमो में विवेचना से प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त मुन्ना उर्फ दिलनवाज पुत्र याकूब निवासी छोटी नहर जाल वाला पुल थाना मंडी जिला सहारनपुर को कोयलागढ के ग्रीन पार्क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी की गयी 04 मोटर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनो मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस जनपद के अलग-2 थानो पर लगभग डेढ दर्जन मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं पिछले महीने ही जेल से छूटकर आया हूँ। मैं पहले भी मोटर चोरी के मामलों में जेल गया हूँ। मैंने पहले 03 मोटर चोरी की है और आज रात्रि में 62 फुटा रोड स्थित फैक्ट्री से 01 मोटर चोरी किया था। मैं अपने शौक पूरे करने व मौज मस्ती करने के लिए चोरी करता हूँ। मैं पहले भी कई बार जेल गया हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

मुन्ना उर्फ दिलनवाज पुत्र याकूब निवासी छोटी नहर जाल वाला पुल थाना मंडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

04 मोटर चोरी की गयी

अभियुक्त मुन्ना उर्फ दिलनवाज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 40/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 486/22 धारा 380/411/427 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 287/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 137/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मंडी जनपद सहारनपुर

5. मु0अ0सं0 97/16 धारा 392/411 भादवि थाना मंडी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 41/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 484/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मंडी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 446/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 31 सुभाष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।